Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Volume-3 | Issue-10 | April-2014 Available online at www.aygrt.isrj.net

भारत में भ्रष्टाचार : अन्ना हजारे और मीडिया

गोविन्द सोनकर,

शोधार्थी छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली

सारांश - इस पेपर का दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्रा में पफैले भ्रष्टाचार के विरु(आंदोलन में अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों की क्या भूमिका रही है, एवं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? उसे संक्षिप्त में समझाने का एक प्रयास किया गया है। इसके क्रमबद्ध एवं सिलसिलेवार विषय–वस्तु के अध्ययन में विभिन्न समाचार–पत्राों, पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं इंटरनेट की सहायता ली गई है।

संकेत शब्द **(Key Words)**
भ्रष्टाचार, आंदोलन, मीडिया, जनलोकपाल, सरकारी लोकपाल, जन–जागरूकता।

जीवन–परिचय

अन्ना हजारे का जन्म 15 जून, 1937 ई. को महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के भिंगार में हुआ।[1] इनके पिता का नाम श्री बाबूराव हजारे, जो कि एक अकुशल मजदूर थे और आर्युवेद आश्रम पफार्मेसी में काम करते थे। इनकी माता का नाम श्रीमति लक्ष्मीबाई था, जो कि अपने घर में गृहणी के रूप में काम करती थी।

हजारे का बचपन का पूरा नाम किसन बाबू राव हजारे है। कभी–कभी उनकी माता लाड़–प्यार से उन्हें नानू और कभी मुन्ना कहकर पुकारती थी।[2] वह अपने सातों बहन एवं भाईयों में सबसे बड़े थे। परिवार की आर्थिक–स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं तक पूरी करने के पश्चात् छोड़नी पड़ी, जिससे कि वह घर के कार्यों में हाथ बँटा सके। 1952 ई. में उनका परिवार रालेगण सिद्धि आ गया।[3]

पफूल बेचने से लेकर सेना में ड्राइवर की नौकरी

परिवार में सबसे बड़े सुपुत्रा होने के नाते एवं घर की खस्ता हालत को देखकर बाबू किसन राव हजारे को दादर स्टेशन पर एक पफूल मालिक के दुकान पर पफूल बेचना पड़ा। उस समय वेतन के रूप में उन्हें 40 रूपये प्रति महीना मिलता था। काम के प्रति लगन, परिश्रम, कठोर मेहनत एवं सच्ची निष्ठा व्यापार के सारे गुण किसन में आ गये। जिसके पफलस्वरूप कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने अपनी स्वयं की पफूल की दुकान खोल ली। पफूल के खरीद–पफरोख्त एवं विक्रय से जितना लाभ वह कमाते, उसे अपने पिता के पास घर के गुजारा–भत्ता के लिए भेज देते थे। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने दोनों भाईयों को यह काम सौंप दिया एवं समाज सेवा के कार्यों में जुट गये। हजारे ने अप्रैल 1960 ई. में सेना के ड्राइवर पद से लेकर क्षेत्रीय समाज सेवी एवं भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अगुवा तक का सपफर एक गैर पारम्परिक, चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचकारी भरे किरदारों में किया।[4] पंजाब में पहली पोस्टिंग से लेकर जम्मू तक वे सेना के ड्राइवर के रूप में काम करते रहे। 15 वर्ष नौकरी पूरी कर लेने के पश्चात् उन्होंने वीआरएस लेकर अपने गाँव रालेगण सि(आ गये। वीआरएस अर्थात् वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पफायदा उठाते हुए पफौज से सेवा–निवृत्त होकर पेंशन पर चले गये। इनके यूनिट के सभी सिपाही 1965 ई. के भारत–पाक यु(में शहीद हो गये परन्तु अन्ना ही उसमें शेष बचे और

[1] दैनिक जागरण, 21 अक्टूबर, 2011
[2] सुर्दशन भाटिया, क्रांतिदूत अन्ना हजारे, पृष्ठ 10
[3] भाटिया सुदर्शन, क्रांतिदूत अन्ना हजारे, पृष्ठ 10
[4] सुदर्शन भाटिया, क्रांतिदूर अन्ना हजारे, पृष्ठ 12

उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी अविवाहित रहकर समाज सेवा में व्यतीत कर दिया। आज भी उनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है और गाँव में बने एक छोटे से मंदिर में रहकर अपना गुजारा–बसर करते हैं। अपने हिस्से की सारी जमीन गाँव के स्कूल के लिए दान कर दिया एवं स्कूल के हॉस्टल में बने भोजन का सेवन करके वही से गाँव के विकास हेतू काम करते हैं। उनके गाँव के विकास मॉडल से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1992 ई. में अन्ना हजारे को देश के तिसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म–भूषण से सम्मानित किया।

भारत में भ्रष्टाचार (CORRUPTION IN INDIA)

परिचय (INTRODUCTION)

भारतीय लोकतंत्रा में भ्रष्टाचार एक ज्वलंत विषय है। स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात् भ्रष्टाचार के अनेक मामले प्रकाश में आये, परन्तु सरकारी तंत्रा भ्रष्टाचार को समाप्त करने में पूरी तरह से विपफल रही है। समकालीन समय में एवं पिछले कुछ वर्षों में देश में पफैले भ्रष्टाचार के अनेक मामले जैसे– बोपर्फोस घोटाला, चारा घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउफसिंग सोसायटी घोटाला, कोयला आबंटन घोटाला, हसन अली पर लगाया गया मनीलाड्रिंग एवं टेक्स चोरी घोटाला, ऐन्ट्रक्स इसरो घोटाला, वोट के लिए नोट घोटाला, आईपीइल घोटाला, विदेशों में जमा काला ध्न एवं सी.वी.सी. की नियुक्ति इत्यादि प्रकाश में आये है। भारत की स्वतंत्राता के पश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार केन्द्र में आयी और चली गयी परन्तु भ्रष्टाचार के उफपर शिकंजा कसने एवं प्रतिबन्ध् लगाने में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से पंगु साबित हुई है।

मीडिया की सक्रियता एवं भूमिका

मीडिया जिसे भारतीय लोकतंत्रा का चौथा स्तम्भ माना जाता है। इन सभी संगीन मामलों को प्रकाश में लाने के लिए मीडिया की महत्ती भूमिका रही है। किसी भी आंदोलन की सपफलता के लिए जन–जागरूकता आवश्यक है और जन–जागरूकता के लिए वर्तमान युग में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति से परे लोगों को एकजूट होने का मौका देती है। व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रांत, समुदाय, संस्कृति, क्षेत्रा–विशेष से सम्बन्ध् रखता हो, मीडिया उसे एकजुट होने का अवसर प्रदान करती है। मीडिया के माध्यम से किसी भी आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। समकालीन समय में देश में पफैले भ्रष्टाचार के विरु(अन्ना हजारे के आंदोलन में प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न चैनलों जैसे आजतक, आईबीएन 7, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, दूरदर्शन, जी–न्यूज इत्यादि ने पूस पफेक्टर के रूप में काम किया है। साथ ही साथ अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों को एक हाई–प्रोपफाइल बनाने में इण्टरनेट, मैगजीन एवं सामाजिक मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार के कुछ लोगों के द्वारा लिये गये गलत एवं दिशाहीन निर्णयों ने अन्ना एवं उनकी टीम को एक उफँचा शख्सियत बना दिया। मीडिया ने अपने कवरेज में यह भी दिखाया है कि सरकार ने अन्ना की गिरफ़्तारी को दिल्ली पुलिस का हवाला देकर अन्ना एवं उनकी टीम को लोकप्रियता के अंतिम शिखर तक पहुँचा दिया। प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या मीडिया ने इस ध्रने का कवरेज इसलिए किया कि वह भ्रष्टाचार को दबाने के लिए पूर्णतया चिन्तित था या पिफर यह एक अच्छा व्यावसायिक नीति थी। क्या इस घटना को बढ़ाने के लिए मीडिया ने उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को भारतीय नेताओं के प्रति घृणा को उजागर किया? प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्त्वपूर्ण है परन्तु उत्तर सरल नहीं है। क्योंकि अन्ना एवं उनकी टीम के लोग यह अच्छी तरह से समझते थे कि आंदोलन को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए क्रिकेट मैचों के साथ इसका प्रसारण न हो। यह मीडिया ही था जिसने इस संघर्ष को 'दुसरा स्वाधीनता संग्राम' और 'आजादी का यु(' कहा। चूँकि यह यु(भारत में उसी भ्रष्टाचार के विरु(लड़ा गया जो कि 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल एवं शासन के विरु(जय प्रकाश नारायण ने लड़ा था। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोपफेसर व सर्व प्रसि(राजनीतिक आलोचक जोया हसन का कहना है कि मीडिया ने अपने पत्राचार के माध्यम से अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा खड़ा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मध्य–वर्ग के लोगों के द्वारा भारतीय नेताओं को नीचा दिखाने का काम किया है।[5] मीडिया ने अगस्त के दुसरे एवं तिसरे सप्ताह में आंदोलन को इतना अध्कि लोकप्रियता प्रदान किया कि वह उड़ीसा में आये बाढ़ को भी भूल गया। परन्तु यह उसी मीडिया के कवरेज की कहानी है जो कि अन्ना के आमरण अनशन

[5] टाइम्स ऑपफ इण्डिया, 19 अक्टूबर, 2011

से पहले अर्थात् 4 अप्रैल, 2011 में अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा खड़ा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को अनसुना कर दिया था लेकिन जैसे ही इस आंदोलन को भारत सहित विदेशों में प्रसि(एवं लोकप्रियता मिली, मीडिया ने अन्ना हजारे को भारतीय आम जनता के बीच हीरों एवं भ्रष्टाचार विरोधी मसीहा बना दिया। यह वही मीडिया है जो कि रेपुटेशन बनाता और बिगाड़ता है। मीडिया अपने कवरेज के द्वारा व्यक्तियों के आदर्शवादी तस्वीर को बनाता है और कल का ध्यान किये बिना उनकी इमेज को बिगाड़ भी देता है। जैसा कि हाल ही में मीडिया ने अन्ना टीम के अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी एवं प्रशांत भूषण के उफपर आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया है। मीडिया ने अपने कवरेज में अरविंद केजरीवाल के उफपर आरोप लगाते हुए यह दिखाया है कि वीआरएस लेने के पश्चात् अरविंद केजरीवाल को प्राप्त होने वाले पुरस्कार राशि में कर न चुकाने का दोषारोपण लगाया है। वही किरण बेदी के उफपर बिजिनेस क्लास में हवाई यात्राा करने के दौरान अपने सरकारी मेडल का उपयोग करके टिकटों में छूट प्राप्त करने तथा दुसरी ओर निजी एनजीओ संस्थाओं के द्वारा पैसा लेने का आरोप लगाया गया। मीडिया ने अपने कवरेज में अन्ना टीम के अन्य सदस्य प्रशांत भूषण के उफपर दिल्ली एवं इलाहाबाद के पॉश इलाके में खरीद गये मकान के सम्बन्ध में 1.27 करोड़ रूपये के स्टाम्प कर चोरी का आरोप भी लगाया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मीडिया जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जो कि किसी भी व्यक्ति को नायक के साथ–साथ खलनायक भी बना देता है। अन्ना हजारे ने अपना पहला अनशन 1989 में बाध्ति विद्युत आपूर्ति के विरोध् में किया। 9 अगस्त 2006 में अलंदी में आरटीआई कानून के तहत् पफाइल नोटिस शामिल न किये जाने के उपलक्ष्य में अनशन शुरू किया एवं 19 अगस्त, 2006 को सरकारी आश्वासन के बाद समाप्त किया। अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा एक विशाल जन आंदोलन को 16 अगस्त 2011 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रारम्भ किया गया। तेरह दिनों की अल्पावध् िमें यह आंदोलन इतना अध्कि लोकप्रिय हुआ कि निर्मल पाठक का कहना है कि ''जिस अन्ना हजारे को चंद महीनों पहले महाराष्ट्र के बाहर कोई नहीं जानता था। आज वे भारतीय आम जनता के आवाज बन गये।'' एक हजारे पर आक्रमण ने पूरे देश के गाँवों और कस्बों में हर आयु, लिंग एवं वर्ग के झुण्ड के झुण्ड हजारे पैदा कर दिये, जब सड़के ''आज–हम–सभी–अन्ना हजारे हैं'' के रोमांच से भर गयी तो दिल्ली हिलने लगी। सरकार के नंगेपन को ढ़कने वाला कपड़ा तार–तार हो गया और सत्ता अपना तर्क खो बैठी।[6] क्या बुढ़े, क्या जवान, महिलाऐं एवं बच्चे सभी अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो गये। प्राईमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक भी इस आंदोलन में शामिल हुए।[7] एक ओर जहाँ स्कूली बच्चों ने नारा दिया ''एक दो तीन चार अन्ना जी की जय–जयकार'' वही दुसरी तरपफ देश की पढ़ी–लिखी युवा जनता ने कहा कि ''अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है।'' ''देश का युवा जाग गया, राहुल गांधी भाग गया, भारत माता की जय, इंकलाब जिन्दाबाद–जिन्दाबाद इत्यादि।''

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में चार चाँद तब लग गये जब भारत के चार विश्व–विद्यालयों जे.एन.यू., डी.यू., जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने ''स्टूडेंट अर्गेस्ट करप्शन'' नामक संगठन बनाने की घोषणा की। यह संगठन चारों विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलापफ अलख जगाएगा। आम आदमी के जुड़ाव के कारण ही यह आंदोलन इतना अध्कि लोकप्रिय हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं मीडिया ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्ना के आंदोलन एवं जनता के दबाव एवं आक्रोश के कारण सरकार को झुकना पड़ा। इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, वह मीडिया ही है। रेडियों एवं एपफ.एम. चैनलों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा की है। मीडिया ने अपने कवरेज में यह भी दिखाया है कि बॉलीवुड की विभिन्न हस्तियों जैसे अमीर खान, ओमपुरी, अनुपम खेर, कैलाश खेर, प्रीति जिंटा, किरण खेर के आ जाने के कारण यह आंदोलन जनता के मध्य ओर अध्कि लोकप्रिय हो गया। विज्ञापन के माध्यम से भी इस आंदोलन को प्रसि(मिली। जहाँ देश के अन्दर युवाओं ने पम्फ़लेट एवं होर्डिंग्स, गांधी टोपी एवं मोबाईल से एसएमएस भेजकर इस आंदोलन को शहरों से लेकर गांवों एवं दूरस्थ कस्बों तक पहुँचा दिया। वही विदेशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, ऋांस, जर्मनी में अप्रवासी भारतीयों ने कैंडल लाईट एवं ध्रना–प्रदर्शन किया। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने में टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, संतोष हेगड़े ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। टीम अन्ना के अलावा कम्युनिकेशन के आधुनिक माध्यम सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे पफेसबुक, गूगल, आरकुट, याहू एवं टिवट्र का इस्तेमाल करके लोगों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये इस आंदोलन से जुड़े रहे है। अप्रवासी भारतीय लोगों ने विदेशों में भारतीय झण्डे को लेकर समूहों में एकत्रित होकर सड़कों पर पफहराने लगे एवं जनगणमन तथा वंदे मातरम् के गीत गाने लगे एवं अन्ना हजारे तथा उनके सदस्यों के द्वारा खड़ा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन करने लगे। ये सब देखकर विदेशी जनता भी हतप्रभ रह गयी कि जिन भारतीयों को गुटखा, पान–मसाला, पॉलिथीन, कूड़ा–करकट सड़कों पर थूँकते एवं पफेकते देखा

[6] टुडे इण्डिया, 4 जनवरी, 2012, पेज संख्या 14–15.
[7] हिन्दुस्तान, 18 अगस्त, 2011 मुख्य पृष्ठ 1.

जाता था, आज वे अचानक इतना सभ्य, शिक्षित एवं संयमित होकर आंदोलन में भागीदारी निभा रहे है। विदेशी लोग ये सोचने एवं समझने पर विवश हो गये कि अन्ना हजारे की गांधीगिरी ने सभी भारतीयों के अन्दर गांधी को पुनः जीवित कर दिया है। इन सभी कारणों ने विदेशी लोगों को इस आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के लिए विवश कर दिया।

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लोकप्रियता का अनुमान इस आधर पर भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी पफाँरेन पॉलिसी मैगजीन में विश्व के सौ समाजसेवी चिन्तकों में उन्हें शामिल किया गया, जिसे प्रिंट मीडिया ने अपने कवरेज में प्रमुखता दी है। विभिन्न समाचार–पत्रों जैसे दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान ने अपने मुख्य एवं सम्पादकीय पृष्ठों पर अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से अन्ना के आंदोलन का विस्तृत उल्लेख करते हुए लिखा है कि सुबह 7 बजे अन्ना हजारे को प्रशांत भूषण के मयूर–बिहार पफेस–एक में स्थित सुप्रीम एंकलेव फ्रलैट से गिरफ्रतार करके क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अशोक चाँद, अतिरिक्त उपायुक्त संजय भाटिया एवं पी कुशवाहा सहित करीब ढ़ाई सौ पुलिस कर्मियों ने इनोवा कार में लेकर 8:30 बजे उन्हें अलीपुर रोड़ स्थित ऑपिफसर्स मेस लाया गया। बाद में शांति भंग करने की आशंका में अध्किारियों ने उन्हें गिरफ्रतार करने की घोषणा की। दोपहर 12:15 पर अन्ना को राजौरी गार्डन स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय लाया गया और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के समकक्ष उन्हें पेश किया गया। अन्ना के द्वारा शपथ–पत्रा न दिये जाने के कारण उन्हें 3:45 बजे तिहाड़ जेल के बैरक संख्या 4 में डाल दिया गया। अन्ना हजारे की गिरफ्रतारी की खबर जैसे ही दिल्ली सहित भारत के विभिन्न शहरों में पफैली लोग विरोध्–प्रदर्शन करने लगे एवं राष्ट्रीय भक्ति के गीत गाते हुए सड़कों पर निकल आये। 14 घण्टे की अल्पावध्ि में यह आंदोलन इतना उग्र रूप ले चुका था कि केन्द्र सरकार को अन्ना सहित उनके सभी सदस्यों को रिहा करने का पफरमान जारी करना पड़ा। परन्तु अन्ना एवं उनके समर्थकों ने जेल से बाहर आने के लिए मना कर दिया। अन्तोगत्वा रामलीला मैदान में 15 दिनों की आमरण अनशन करने की छूट मिलने के बाद वह जेल से रिहा हुए। अन्ना के जेल से बाहर न आने के पीछे एक कारण यह भी था कि वह जिन मांगों की मांग कर रहे हैं, उन पर केन्द्र–सरकार सहमत नहीं थी।

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कि लोकप्रियता का अनुमान इस आधर पर भी लगाया जा सकता है कि अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों की गिरफ्रतारी के पहले ही दिन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक लाख अस्सी हजार लोगों ने उन्हें रिहा करने की अपील की। अन्ना का आमरण अनशन तेरह दिनों तक चला, जबकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अन्ना के आमरण अनशन का समर्थन नहीं किया।[8]

यह निःसंदेह एक अद्भुत राजनीतिक विरोध् था, जो बिना किसी दलीय समर्थन के जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जंगल में आग की भांति पफैल गया। अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा खड़ा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में देश की समाज सेविका अरूणा राय एवं मेध पाटकर ने खुलकर समर्थन किया।[9] मीडिया ने अपने कवरेज में यह भी दिखाया है कि अन्ना हजारे ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की समाप्ति लोकपाल बिल के उफपर सरकारी स्वीकृति मिलने के पश्चात् 28 अगस्त 2011 को 10:30 बजे रामलीला मैदान में सिमरन एवं इकरा नामक लकड़ी के हाथों से नारियल पानी एवं शहद पीकर समाप्त किया।[10] ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, बसपा एवं सपा ने अन्ना हजारे के उफपर यह आरोप लगाया कि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक–समर्थक है, तथा संकुचित विचारधरा से ग्रस्त है। जबकि वस्तु–स्थिति को न समझते हुए, ऐसे आरोप इन पार्टीयों के लोगों के द्वारा उन पर लगाये गये। अन्ना हजारे के लोकपाल बिल को सरकार ने शीतकालीन सत्रा में पारित कराने का वचन जैसे ही दिया, रामलीला मैदान सहित देश के सभी स्थानों में लोग खुशी से नाचने एवं झूमने लगे। इस बीच अन्ना हजारे के सदस्यों जैसे प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल एवं किरण बेदी पर सरकार ने आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया। मीडिया ने यह भी दिखाया है कि कश्मीर के प्रश्न को लेकर प्रशांत भूषण के द्वारा दिये गये बयान पर श्री राम सेना के समर्थकों ने उन्हें कोर्ट परिसर में पीट दिया। अरविंद केजरीवाल के उफपर लखनउफ के झूला पार्क में जूता पफेका गया।[11] हरियाणा के हिसार लोकसभा उपचुनाव में अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा कांग्रेस के विरु(प्रचार करने के मद्देनकर टीम अन्ना के दो प्रमुख सदस्य पी.वी. राजगोपाल एवं राजेन्द्र ने कोर कमिटि से अलग हो गये। पी.वी. राजगोपाल एवं राजेन्द्र टीम अन्ना पर यह आरोप लगाते हुए अलग होने की घोषणा किया कि टीम अब अपने मूल मुद्दे से भटक गयी है। पहले अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों का मूल मुद्दा भ्रष्टाचार था जबकि वह किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के खिलापफ प्रचार करने का नहीं था।

आंदोलन में विभिन्न मदों से प्राप्त ध्न एवं खर्च का विवरण

[8] पत्रिका, ंट लाइन, 23 सितम्बर, 2011
[9] दैनिक जागरण, 29 अगस्त, 2011.
[10] हिन्दुस्तान, 29 अगस्त 2011.
[11] दैनिक जागरण, 13 अक्टूबर, 2011, दैनिक जागरण, 19 अक्टूबर, 2011

मीडिया ने अपने कवरेज में यह दिखाया कि अन्ना हजारे ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च पफाउण्डेशन ;पीसीआरएपफद्ध नामक संस्था का गठन किया था। इस आंदोलन में कुल 2.94 करोड़ रूपये नगद चेक, ऑन लाइन एवं चंदे के रूप में एकत्रा किया गया। आंदोलन में दान करने वाले लोगों की संख्या 27500 थी, जिसमें 25000 लोगों ने रामलीला मैदान में दान किया था एवं शेष 2500 लोगों ने ऑन लाइन एवं चैक के माध्यम से अपनी ध्नराशि को इस संस्था के नाम भेजा था। यह पूरी ध्नराशि 6 महीने में अर्थात् एक अप्रैल से 30 सितम्बर के बीच एकत्रित की गयी, जिसमें सबसे अध्कि सीताराम जिंदल ने 25 लाख रूपये दान दिये तथा सबसे कम पाँच रूपये प्राप्त हुआ। 45.55 लाख रूपये को उन लोगों को लौटा दिया गया, जिन्होंने अपना नाम छिपाकर दान किया था। कोर कमेटी के सदस्य प्रशांत भूषण ने 4 लाख रूपये का सहयोग किया था। शेष ध्नराशि 9465419 रूपये पीसीआरएपफ के खाते में जमा है। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन से जुड़े हुए बु(िजीवी वर्गो ने एकत्रित किए हुए पैसे के खर्च का हिसाब जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है–

	मद	रूपये
1.	जनसभा	5227495
2.	संचालन, इण्टरनेट, मोबाइल (एसएमएस)	455000
	(आंदोलन के दौरान 30 करोड़ लोगों को एसएमएस भेजा गया)	
3.	बुकलेट, पम्पफलेट एवं होडिंग्स	2655000
4.	आवागमन एवं परिवहन	983000

(अन्ना एवं उनके सदस्यों को दिल्ली से बाहर आने–जाने का खर्च रूपये 456000)[12]

संसद का शीतकालीन सत्रा 22 नवम्बर, 2011 को प्रारम्भ हुआ एवं 27 दिसम्बर, 2011 तक चलता रहा इतनी लम्बी अवध्ि के शीतकालीन सत्रा में लोकपाल बिल लोकसभा में पारित तो कर दिया गया परन्तु राज्य सभा में कांग्रेस का उचित प्रतिनिध्त्वि न होने के कारण आज भी यह बिल लटका हुआ है।

सरकारी लोकपाल एवं जन लोकपाल बिल

चार दशक से जिस लोकपाल बिल को केन्द्र की राजनीति ने अपने ठंडे–बस्ते में डाल रखा था, अचानक इतना लोकप्रिय एवं प्रसि(हो जायेगा। इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। स्वतंत्राता प्राप्ति के दो दशक बाद भारतीय संसद में पहली बार लोकपाल बिल को सन् 1968 ई. में पेश किया गया। पुनः इस बिल को क्रमशः 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 1999 और 2001 में भी लाया गया, परन्तु यह कानून का रूप धरण करने में हर बार पूरी तरह विपफल रहा।[13]

जबकि तीन बार 1968, 1971 और 1985 में कांग्रेस की सरकार आयी और कई बार साझी सरकार 1989 में नेशनल ंट, 1996 में युनाइटेड ंट, 1998, 1999 और 2001 में एन.डी.ए. की एवं 2004 से लेकर 2014 तक यू.पी.ए. की सरकार केन्द्र में रही परन्तु यह बिल आज भी अध्र में लटक पड़ा हुआ है। जोकि भारतीय राजनीतिज्ञों की जनउन्मुखी व उत्तरदायी सरकारी तंत्रा की ओर उनके पापुलिस्ट, समर्पण को दर्शाता है। जो यथार्थ से कोसो दूर है।

जनलोकपाल

इस बिल को जस्टिस संतोष हेगडे, जे.एम. लिन्दोह, किरण बेदी, शांति–भूषण, अन्ना हजार एवं अरविन्द केजरी वाल सहित इत्यादि लोगों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है, 1 दिसम्बर, 2010 को प्रधनमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बिल की एक–एक प्रति भेजी गयी थी। जिसका अभी तक कोई की सकारात्मक जबाव नहीं आया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त के गठन का प्रावधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग दोनों संवैधनिक संस्थाओं को सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्रा रखा गया है और कोई भी बाहुबली नेता या बड़े से बड़ा अधिकारी इसकी जाँच करने वाली संस्थाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। यह अपने आप में एक स्वतंत्रा नियामक संस्था होगी। एक

[12] दैनिक भास्कर, 1 नवम्बर, 2011.
[13] राव, जे.आर., परसा वेंकटेश्वर : लोकपाल : पफैक्ट्रस एण्ड आर गुमेंट्स

साल के भीतर जाँच–सम्बन्धी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जायेगा एवं दो साल के भीतर भ्रष्टाचारी नेता एवं अध्किारी को जेल की सलाखों में भेज दिया जायेगा एवं करप्शन में संलिप्त पाये गये अध्किारी एवं नेताओं से पूरी ध्नराशि वसूल किया जायेगा। सरकारी कर्मचारी एवं अध्किारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जायेगी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी काम के वजह से किसी सरकारी दफ्रतर में जाता है तो उसे एक निश्चित समय में उसके काम को पूरा करने की संतुष्टि कर्मचारियों एवं अध्किारियों को देनी पड़ेगी। यदि किसी भी तरह का हिला–हवाली या देरी होती है तो उसके खिलापफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उदाहरण के रूप में यदि आप राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्रा, पासर्पोट, ड्राईवरी लाइसेंस, जाति–प्रमाण पत्रा, निवास प्रमाण पत्रा, आय प्रमाण पत्रा इत्यादि बनवाने हेतू सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो एक निश्चित अवध्ि के अंदर सरकारी कर्मचारियों को पूरा करके देना होगा। अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों ने अपने जन लोकपाल बिल के अन्तर्गत राइट टू रिकाल, राइट टू रिजेक्ट एवं सिटिजन चार्टर की भी मांग कर रहे हैं। राइट टू रिकाल के अन्तर्गत यदि कोई भी निर्वाचित जन–प्रतिनिधि या नेता किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे जनता को वापिस बुलाने का अध्किार होना चाहिए। मीडिया ने राइट टू रिजेक्ट एवं सिटिजन चार्टर के उफपर पफोकस करते हुए दिखाता है कि चुनाव में जनता को यदि कोई भी उम्मीदरवार नापसंद है तो उसे रिजेक्ट करने का भी अध्किार होना चाहिए एवं सिटिजन चार्टर के तहत् यह मांग की गई है कि सरकारी दफ्रतरों में जनता के किसी भी काम को निर्धरित तिथि के अंदर पूरा नहीं करने पर उस अध्किारी एवं कर्मचारी के खिलापफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं उसके उफपर जुर्माना लगाया जायेगा। मीडिया ने लोअर ब्यूरोक्रेसी के तहत् ग्रुप सी एवं डी स्तर के कर्मचारी को भी लोकपाल बिल के अंदर लेने की बात की है। यहाँ तक प्रधनमंत्राी एवं सीबीआई भी इसके दायरे में होनी चाहिए। जबकि सरकार इस पर सहमत नहीं है।[14] इस पर सरकार का वक्तव्य है कि इससे भारतीय संसद की गरिमा के उफपर प्रश्न–चिह्न लग जायेगा एवं उसका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा।

सरकारी लोकपाल

टीम अन्ना द्वारा प्रस्तावित जनलोकपाल के विरू(सरकार द्वारा एक अन्य तैयार किया गया बिल है जिसे सरकारी लोकपाल बिल के नाम से जाना जाता है। सरकारी लोकपाल बिल में यह वर्णित किया गया है कि यदि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो इसके विरु(शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम, पता एवं पहचान गोपनीय रखा जायेगा।[15] सरकारी लोकपाल बिल में यह भी कहा गया है कि यदि देश का प्रधनमंत्राी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी जाँच सीबीआई करे, लोकपाल नहीं। जज रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है तो तीन जजों की कमेटी जाँच करेगी न कि लोकपाल। यदि कोई सांसद वोट के बदले नोट लेकर मतदान संसद में करे तो सांसदों की कमेटी के द्वारा जाँच की जानी चाहिए, न कि लोकपाल के द्वारा।

जबकि अन्ना हजारे एवं उनकी टीम इस बात पर सहमति नहीं थी। उनकी टीम इस बात के उफपर भी जोर देती थी कि भ्रष्टाचार से निपटने वाली वर्तमान संस्थाओं जैसे– सीबीआई, विजिलेंस एवं सीबीसी का लोकपाल में विलय कर लिया जाये।

आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि मीडिया ने अपने कवरेज में पहले अर्थात् अप्रैल, 2011 में एवं 27 दिसम्बर 2011 को दिल्ली एवं मुम्बई में हुए आंदोलन की अपेक्षा 16 अगस्त, 2011 से 28 अगस्त 2011 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्पन्न हुऐं आंदोलन को सबसे अध्कि प्रमुखता दी है।[16] यद्यपि अन्ना हजारे का आंदोलन मुम्बई में तीन दिन के लिए आयोजित किया गया था, परन्तु जनता की उदासीनता एवं लोकप्रियता के अभाव के कारण दोपहर 28 दिसम्बर 2011 को अन्ना एवं उनकी टीम ने नाटकीय ढ़ंग से स्वयं समाप्त कर दिया। इस आंदोलन को प्रिंट मीडिया सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विशेष महत्व नहीं दिया।

असपफलता के कारण

[14] दैनिक जागरण 17 अगस्त, 2011
[15] दैनिक जागरण 17 अगस्त, 2011
[16] दैनिक जागरण, 12 अक्टूबर, 2011

1.हरियाणा के हिसार उप–लोकसभा चुनाव में अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा पार्टी विशेष के खिलापफ प्रचार करने से भारतीय आम जनता के मन में यह धरणा बन गयी कि अब अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलापफ नहीं बल्कि राजनीतिक रूप धरण करता जा रहा है।
2.जगह के चयन को लेकर भी यह आंदोलन सपफल नहीं रहा। क्योंकि जगह का केन्द्र दिल्ली न होकर मुम्बई को चयनित किया गया था। यह अन्ना के टीम का एक गलत निर्णय था। इन सभी कारणों को अन्ना एवं उनकी टीम ने समझा और अब वे किसी विशेष राजनीति पार्टी के खिलापफ नहीं बल्कि चुनाव में जनता से यह अपील कर रही है कि आप उन उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए जो कि ईमानदार, कर्मठ, लोकपाल बिल का समर्थन करता हो एवं भ्रष्टाचार का विरोधी हो। अब उनका पफोकस किसी पार्टी विशेष के प्रति न होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो गया। कार्टुनस प्रिंट मीडिया ने सशक्त लेखनी के साथ–साथ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के समर्थन में व्यंग्यात्मक रेखा चित्रों का भी सहारा लिया, और इस आंदोलन को लोकप्रियता के शिखर तक पहुँचाने में अपना विशेष योगदान दिया हैं इन रेखा–चित्रों में शामिल करेक्टर भ्रष्टाचार और सरकार को चिढ़ाते हुए दिखाया गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचनों एवं विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि प्रिंट मीडिया ने अन्ना हजारे एवं उनके सदस्यों के द्वारा खड़ा किये गये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का कवरेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। यद्यपि अन्ना हजारे का मुहिम भ्रष्टाचार के विरोध में था और भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। जिसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने सरकार एवं नौकरशाही पर थोप

दी। जबकि आम आदमी भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है। व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जनता की जागरूकता आवश्यक है। क्योंकि कहीं न कहीं जनता भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति भारतीय समाज से ही आता है न कि मंगल–ग्रह से। इसलिए भ्रष्टाचार को सम्पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए जन–सक्रियता व जन–जागरूकता आवश्यक है।

अन्ना हजारे का जनलोकपाल बिल समानान्तर सरकार की तरह है। इससे संविधन के द्वारा गठित विधयिका पर ही प्रश्न चिन्ह् उठता प्रतीत होता है। अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल में किन लोगों को शामिल किया जाय, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त न हो और आने वाले समय ये लोग किसी गलत कार्य में यदि संलिप्त पाये जाते है तो उसे जाँच करने हेतु कौन–सी न्यायिक–संस्था का गठन किया जाय, इस पर अन्ना एवं उनकी अपनी टीम सहमति नहीं दे पा रही है।

अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल का दायरा बहुत ही विस्तृत है जिसमें प्रधनमंत्री, न्यायपालिका, सी.बी.आई, सी. बी.सी. जैसी सर्वोच्च संस्थाओं को जाँच के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार कई अर्थों में यह सरकार से भी उफँची संस्था बनती प्रतीत होती है तथा इस बात की क्या गारण्टी है कि यह उभरने वाली सर्वोच्च संस्था एक उत्तरदायी एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करेगी। मीडिया के द्वारा अन्ना हजारे आंदोलन को हद से ज्यादा कवरेज दिया गया और इस दौरान देश की अन्य महत्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे पता चलता है कि मीडिया की जवाबदेही जनता एवं उनकी समस्याओं के प्रति न होकर अपनी व्यावसायिकता एवं मुनापफा कमाने पर केन्द्रित थी। लेकिन पिफर भी मीडिया की शाक्तिशाली भूमिका ने यह साबित कर दिया कि यदि वह चाहे तो अपने जनसंचार के माध्यम से आम–जनता से लेकर सरकार तक की चूल्हे हिलाने की कूबत वर्तमान समय में रखती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.भाटिया, सुदर्शन : ;2011द्ध, ''क्रांतिदूत अन्ना हजारे'', नई दिल्ली।
2.जे.आर., राव, परसा वेंकटेश्वरऋ (2012), ''लोकपाल : पफेक्ट्रस एण्ड आरगुमेंट्स', नई दिल्ली।
3.जैन, एम.पी.ऋ ;1970द्ध, ''लोकपाल : ओम्बुड्समैन इन इण्डिया'', नई दिल्ली।
4.पत्रिाका, टुडे इण्डियाऋ 4 जनवरी, 2012, नई दिल्ली।
5.हिन्दुस्तान 18 अगस्त 2011, नई दिल्ली।
6.जागरण दैनिक 21 अक्टूबर 2011, नई दिल्ली।
7.टाइम्स ऑपफ इण्डिया 19 अक्टूबर 2011, नई दिल्ली।
8.भास्कर, दैनिकऋ 1 नवम्बर, 2011, नई दिल्ली।
9.पत्रिाका, ंट लाइनऋ अगस्त 13–26, 2011, वॉल्यूम 28, न. 17, नई दिल्ली।
10.पत्रिाका, द पफॉरेन पॉलिसी, नवम्बर 29, 2011, वाशिंगटन डी.सी. अमेरिका।